सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 94/प्रा0पत्र/2024

दायरा दिनांक :–21.06.2024

GCMS ID–2024/116

1. रामरतन आ0 केशरा जाति जाट निवासी ढाकणी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. जुगराज आ0 केसरीलाल जाति भाट निवासी ढाकणी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. अजोध्याबाई पत्नी मोरधन जाति काछी निवासी ढाकणी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री महेश नामा

वकील अप्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन

दिनांक :– 19/05/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 224 खसरा संख्या 3193/1275 रकबा 0.5691 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.5691 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 226 खसरा संख्या 1277 रकबा 0.4383 हैक्टेयर वाके ग्राम ढाकणी पटवार मण्डल सथूर में विस्थित है, जो प्रार्थी की सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता केशरा जी थे जिनके एक पुत्री मानती व दो पुत्र अप्रार्थी जुगराज व प्रार्थी रामरतन है, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी के पिताजी की मृत्यु के बाद जॉच किये बिना राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में रामरतन आ0 केशरा के स्थान पर रतन आ0 केसरीलाल का इन्द्राज कर दिया, उक्त इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज किया गया है, इसलिए उक्त इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज किया गया है, इसलिए उक्त इन्द्राज अवैध एवं

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक्स, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम रामरतन आ0 केशरा दर्ज है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रतन आ0 केसरीलाल दर्ज कर दिए जाने से वजह से प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहा है, तथा प्रार्थी का नाम रामरतन आ0 केशरा है और पहचान के सभी दस्तावेजात में भी रामरतन आ0 केशरा ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर रतन आ0 केसरीलाल के स्थान पर रामरतन आ0 केशरा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 15.03.2024 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपना नाम रतन आ0 केसरीलाल के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर रामरतन आ0 केशरा दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम रामरतन आ0 केशरा दर्ज करवावे। उपरोक्त भूमिया वाके ग्राम ढाकणी पटवार मण्डल सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या 224 खसरा संख्या 3193 / 1275 रकबा 0.5691 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.5691 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 226 खसरा संख्या 1277 रकबा 0.4383 हैक्टेयर वाके ग्राम ढाकणी पटवार मण्डल सथूर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी नाम रतन आ0 केसरीलाल के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर रामरतन आ0 केशरा दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के नाम रतन आ0 केसरीलाल के इन्द्राज को विलोपित कर उक्त स्थान पर रामरतन आ0 केशरा दर्ज किए जाने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 की मृत्यु हो जाने से नाम डिलिट किए जाने के आदेश दिए गये।

प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/25/852 दिनांक :–22.04.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम ढाकनी की भूमि खाता संख्या 224 में दर्ज अपना नाम रतन पुत्र केसरीलाल व भूमि खाता संख्या 226 में दर्ज अपने नाम रतनलाल पुत्र केशरीलाल के स्थान पर रामरतन पुत्र केशरा शुद्ध करवाना चाहता है। जिसके संबंध में मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा उक्त खाता नम्बरों में दर्ज सहखातेदार रतन पुत्र केसरीलाल व रतनलाल पुत्र केशरीलाल एक ही व्यक्ति के नाम है। जिनको रतन पुत्र केसरीलाल व रतनलाल पुत्र केशरीलाल के स्थान पर रामरतन पुत्र केशरा शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम रामरतन पुत्र केशरा है जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनिंयम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थीगण व जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता डायरी व कार्यालय ग्राम पंचायत सथूर प्रमाण पत्र पेश किए है जिनमें प्रार्थी का नाम रामरतन आ0 केशरा दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किंये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम ढाकणी पटवार मण्डल सथूर के खाता संख्या 226 में दर्ज सहखातेदार रतनलाल पुत्र केशरीलाल व खाता संख्या 224 में दर्ज सहखातेदार रतन पुत्र केसरीलाल के स्थान पर रामरतन पुत्र केशरा शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 19.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

19/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446